भामाशाह योजना–2014

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांकः 23.12.14

परिपत्र–8

भामाशाह योजना–2014 के अन्तर्गत राज्य के सभी ई–मित्र केन्द्रों को स्थायी नामांकन केन्द्र घोषित किया जाता है। इन केन्द्रों पर नामांकन हेतु निम्न के लिए निःशुल्क व स्थायी सुविधा उपलब्ध रहेगीः–

1. भामाशाह नामांकन शिविरों के दौरान नामांकित परिवारों के शेष रहे सदस्यों हेतु तथा
2. ऐसे परिवार जिनका भामाशाह नामांकन नहीं हुआ है।

स्थायी नामांकन केन्द्रों पर नामांकन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया रहेगीः–

1. भामाशाह नामांकन हेतु ई–मित्र कियोस्क पर ऑनलाईन आवेदन किया जाएगा, नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर पावती के दो प्रिन्ट लिये जाएंगे। एक प्रिन्ट पर ई–मित्र कियोस्क संचालक हस्ताक्षर कर आवेदक को देगा तथा दूसरे प्रिन्ट पर आवेदक के हस्ताक्षर लेकर स्केन कर दस्तावेजों के साथ अपलोड करेगा।
2. ऐसे परिवार जिनका भामाशाह नामांकन हो चुका है, के परिवारों के शेष रहे सदस्यों के नाम जुड़वाने हेतु महिला मुखिया/वयस्क सदस्य द्वारा आवेदन के समय बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण अथवा उनके आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति प्राप्त कर किया जाएगा।
   यदि परिवार का भामाशाह नामांकन EID के आधार पर हुआ है तथा आधार नम्बर प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक/पटवारी/सरपंच से परिवार का सदस्य होने का सत्यापन उपरान्त नाम जोड़ा जा सकेगा।
3. नये सदस्य को स्वयं उपस्थित होकर कियोस्क पर ही फोटो खिंचवानी होगी।
4. नये सदस्य के क्रम में परिपत्र संख्या–1 दिनांक 18.07.2014 के परिशिष्ठ–8 में उल्लेखित प्रमाण दस्तावेज़ कियोस्क पर उपलब्ध कराने होंगे।
5. ऐसे परिवार जिनका प्रथमतः नामांकन किया जा रहा है के परिवार के मुखिया व कम से कम एक अन्य सदस्य का आधार नामांकन होना अनिवार्य है।
6. नामांकन हेतु परिवार से यह भी अपेक्षित है कि वह परिवार की महिला मुखिया का व्यक्तिगत बैंक खाता खुलवाकर नामांकन हेतु उपस्थित हो। बिना बैंक खाते के भामाशाह नामांकन नहीं होगा।

7. यह अपेक्षित हैं कि पूरा परिवार भामाशाह नामांकन एक साथ उपस्थित होकर कराये। अपूर्ण परिवार के शेष सदस्य कभी भी अपना नामांकन करवा सकेंगे। परिवार की महिला मुखिया/वयस्क सदस्य द्वारा यह प्रमाणित करने पर की परिवार के सभी सदस्यों का नामांकन हो चुका है, भामाशाह कार्ड जारी करने की अग्रिम प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। इसके बाद नामांकन डेटा/भामाशाह कार्ड में किसी भी प्रकार के अद्यतन/नाम जुड़वाने के लिए आवेदनकर्ता को निर्धारित शुल्क अदा करना पड़ेगा।
8. परिवार के सभी सदस्यों के नामांकन उपरान्त डेटा का सत्यापन संबंधित तहसीलदार द्वारा संबंधित पटवारी/ग्राम सेवक के सहयोग से 10 दिन में किया जाएगा।
9. भामाशाह कार्ड तैयार होने पर संबंधित ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से ही कार्ड का वितरण किया जावेगा।
10. ई-मित्र केन्द्र द्वारा भामाशाह नामांकन हेतु समय-समय पर जारी परिपत्र/दिशा- निर्देशों की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
11. ई-मित्र केन्द्र को भामाशाह नामांकन हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (RISL) द्वारा भुगतान किया जाएगा। उक्त नामांकन हेतु ई-मित्र केन्द्र द्वारा नागरिक से किसी प्रकार का शुल्क नही लिया जाएगा।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों का नामांकन हो चुका है तथा परिवार को कार्ड प्राप्त हो चुका है, के नामांकन डेटा की सूचना में अद्यतन/संशोधन परिपत्र-7 दिनांक 08.12.2014 अनुसार होगा।

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि-

1. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान।
8. निदेशक (तकनीकी), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लि., जयपुर, राजस्थान।
9. गार्ड पत्रावली।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना